



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 श्रावण 1934 (श0)

(सं0 पटना 376) पटना, वृहस्पतिवार, 2 अगस्त 2012

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग  
(निबंधन)

अधिसूचनाएं  
1 अगस्त 2012

सं0 I/एम<sup>1</sup>-148/2011-1959—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-9 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा निम्नवत् नियत करते हैं:—

क्रम सं0	दस्तावेजों के प्रकार	अधिकतम सीमा
(क)	औद्योगिक, खुदरा आवासीय अथवा वाणिज्यिक (Commercial) ऋण हेतु सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों/बैंकों के पक्ष में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-IA के Article-6(1)(a) के अधीन यथा वर्णित हक विलेखों के निक्षेप (deposit) से संबंधित एकरारनामा	5000 रु0 (पाँच हजार रुपए मात्र)।
(ख)	औद्योगिक, खुदरा आवासीय अथवा वाणिज्यिक (Commercial) ऋण हेतु सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों/बैंकों के पक्ष में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-IA के Article-40(b) के अधीन यथा वर्णित बंधक विलेख, जब कब्जा (possession) नहीं दिया गया हो या दिये जाने का करार किया गया हो	20,000 रु0 (बीस हजार रुपए मात्र)।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आमिर सुबहानी,  
सरकार के प्रधान सचिव।

1 अगस्त 2012

सं० I/एम<sup>1</sup>-148/2011-1959—उपर्युक्त राज्यादेश का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आमिर सुबहानी,  
सरकार के प्रधान सचिव।

*The 1st August 2012*

No. I/M<sup>1</sup>- 148/2011-1959—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section-9 of the Indian Stamp Act, 1899 the Governor of Bihar is pleased to fix the maximum limit of stamp duty as follows: —

Sl. No.	Kind of Instrument	Maximum limit
(a)	Agreement relating to deposit of title deeds as described under Article-6(1)(a) of Schedule-IA of the Indian Stamp Act, 1899 in favour of public financial institutions/banks for Industrial, Retail Housing or Commercial loans	Rs. 5000 (Rupees five thousand only)
(b)	Mortgage deed when possession is not given or agreed to be given as aforesaid as described under Article-40(b) of the Indian Stamp Act, 1899 in favour of public financial institutions/banks for Industrial, Retail Housing or Commercial loans	Rs. 20,000 (Rupees twenty thousand only)

By order of the Governor of Bihar,  
AMIR SUBHANI,  
*Principal Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 376-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 श्रावण 1934 (श0)  
(सं0 पटना 375) पटना, वृहस्पतिवार, 2 अगस्त 2012

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग  
(निबंधन)

अधिसूचनाएं  
1 अगस्त 2012

सं0 I/एम<sup>1</sup>-148/2011-1958—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल अधिनियम के अधीन तैयार की गयी फीस तालिका की मद सं0-A(1) के अधीन भुगतेय फीस की अधिकतम सीमा निम्नवत् नियत करते हैं:—

दस्तावेज का प्रकार	अधिकतम सीमा
औद्योगिक, खुदरा आवासीय अथवा वाणिज्यिक (Commercial) ऋण हेतु सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों/बैंकों के पक्ष में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-IA के Article-40(b) के अधीन वर्णित बंधक विलेख, जब कब्जा (possession) नहीं दिये जाने का करार हुआ हो	5000 रु0 (पाँच हजार रुपए मात्र)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आमिर सुबहानी,  
सरकार के प्रधान सचिव।

1 अगस्त 2012

सं0 I/एम<sup>1</sup>-148/2011-1958—उपर्युक्त राज्यादेश का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आमिर सुबहानी,  
सरकार के प्रधान सचिव।

*The 1st August 2012*

No. I/M<sup>1</sup>- 148/2011-1958—In exercise of the powers conferred under section-78 of the Registration Act 1908, the Governor of Bihar is pleased to fix the maximum limit of the fee payable under Article-A(1) of the Table of fees payable under the Act as follows:—

Kind of Instrument	Maximum fee
Mortgage deed when possession is not given or agreed to be given as aforesaid described under Article-40(b) of the schedule-IA of the Indian Stamp Act, 1899 in favour of public financial institutions/banks for Industrial, Retail Housing or Commercial loans	Rs. 5000 (Rupees five thousand only)

By order of the Governor of Bihar,  
AMIR SUBHANI,  
*Principal Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 375-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>